



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ 1942 (श0)
(सं0 पटना 367) पटना, सोमवार, 22 जून 2020

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

आदेश
8 मई 2020

सं० 2/सी01 20-01/2020-3445/गृ0आ0—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को कतिपय शर्तों के अधीन परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-2916 दिनांक 20.03.2020 निर्गत किया गया था।

कोविड-19 वायरस का प्रसार रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से लगातार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रभावी हो जाने के कारण उक्त अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान समर्पित नहीं किया जा सका है।

वर्तमान में दिनांक 17.05.2020 तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रभावी है। लॉकडाउन की अवधि में उक्त अभ्यर्थियों को योगदान समर्पित करने की बाध्यता से मुक्त किया जाता है। यदि कोई नवनियुक्त पदाधिकारी लॉकडाउन की अवधि में योगदान समर्पित करना चाहें तो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-45/गो0/अ0मु0स0को0 दिनांक 20.04.2020 (प्रति संलग्न) की कंडिका-‘क’ में निहित प्रावधानों के आलोक में स्थानीय जिला पदाधिकारी से यात्रा पास प्राप्त कर एवं मेडिकल स्क्रीनिंग प्रतिवेदन/प्रमाण-पत्र के साथ विभाग से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान समर्पित कर सकते हैं।

आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 367-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>